

बिहार शिक्षा परियोजना  
मिशन महादेवा,  
महादेवा ओपीओ के निकट  
सीवान- 841227  
पत्रांक : .....1825.....



Bihar Education Project  
Mission, Mahadewa  
Near Mahadewa O.P.  
Siwan - 841227  
Dated: 06/10/2019

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक  
.....श्री पी. पी. पब्लिक स्कूल  
.....अमलोरी  
जिला- सीवान।


विषय:- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/महाशया,

आपके आवेदन-पत्र दिनांक .....और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय.....श्री पी. पी. पब्लिक स्कूल, अमलोरी, सीवान को कक्षा 1 से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षों 2019-20 से 2021-22 तक की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी :-

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 1-8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम- 2009 (अनुलग्नक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली- 2011 (अनुलग्नक- 2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. कक्षा 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैंपिशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जायेंगे :-
  - I. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
  - II. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
  - III. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  - IV. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - V. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।



DPO, (SSA) Siwan  
Website - ssasiwan.in

Ph No. 06154 242031  
Email- ssadlosiwan@gmail.com

VK

*(Handwritten Signature)*



- VI. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता को अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
- VII. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- VIII. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मापदण्डों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् है :- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल कुल निर्मित क्षेत्र..... 14250 sqft  
खेल के मैदान का क्षेत्र..... 5000 sqft  
वर्ग कक्षों की कुल संख्या..... 14  
प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष..... 03  
बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय, बालक..... 07 बालिका..... 07  
पेयजल की सुविधा..... 24 मीटर से 90 लीटर पीपी, 2150.00  
मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर.....  
बाधारहित पहुँच :  
शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय..... sqft 4000
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या- RTE/SWN/2019-20/ 00242 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाये।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा समय-समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चित हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों को अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाये।
19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।

विश्वासभाजन

(दिलीप कुमार सिंह)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान, सीवान।



बैठक की कार्यवाही

दिनांक-05.12.2019 को राज्य के निजी विद्यालयों को सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई० बोर्ड से संबंधता प्राप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में निर्णय हेतु माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार की अध्यक्षता में आहुत बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

- (1) अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना -
- (2) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना -
- (3) विशेष निदेशक (मा०शि०), बिहार, पटना -

बैठक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गये :-

प्रस्ताव संख्या-1

विद्यालय प्रबंधन से प्राप्त प्रस्ताव एवं विद्यालय प्रबंधन द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी/प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र के माध्यम से प्राप्त कागजातों के आधार पर सम्यक् विचारोपरांत समिति द्वारा सर्वसम्मति से इस शर्त पर विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली/आई०सी०एस०ई०, नई दिल्ली निम्नांकित विद्यालयों का अपने स्तर से स्थल निरीक्षण/भौतिक निरीक्षण करते हुए अर्हता के संबंध में संतुष्ट हो लें। बोर्ड को यह भी स्पष्ट रूप से सूचित किया जाय कि समिति द्वारा इन संस्थानों का स्थल निरीक्षण एवं कागजातों की सत्यता की जाँच नहीं करायी गयी है। इस संबंध में विद्यालय द्वारा प्राप्त अभिलेखों के आधार पर ही विभाग द्वारा समीक्षा की गई है। इसमें यदि किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो इसके लिए संबंधित विद्यालय पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे तथा नियमानुकूल दंड के हकदार होंगे :-

- (1) शिशु भारती स्कूल, एस.के. रोड, फारबिसगंज, अररिया।
- (2) D.A.V Public School, Anishabad at Palanga, Patna, Bihar।
- (3) Himalayan Academy, Pakartalla, Kahalgaon, Bhagalpur।
- (4) St. Paul's School, G.D. College, Main Road, Begusarai.
- (5) Creative Minds International School, रामनगर, सूर्यगढा, लखीसराय।
- (6) दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, मधेपुरा।
- (7) S.S. International School, Shankar Bihar, Popra, Dularpur, ARA, Bhojpur।
- (8) D.A.V Public School, Sheikhpura, Chakandra more, Chewara Road, Sheikhpura.
- (9) लक्ष्मी राम नारायण विद्या संस्थान, रग्नूचक, मकन्दपुर, भांगलपुर।
- (10) संत भेरी स्कूल, न्यू एरिया बाइपास चैक, औरंगाबाद।
- (11) G.I.P. Public School, Ghanshyam Nagar, Kartam Road, Pakribawan, Nawada।
- (12) D.P. Public School, Amlori, Siwan।
- (13) Mount Litera Zee School, Motihari।
- (14) Radhe Shyam Public School, Sisauni Road, Pathra, Supaul।
- (15) G.L. Academy, Kusumhara, Rajpur, Rohtas।
- (16) Model ST. Michael's High School, Sahay Nagar, Rupaspur, Patna।
- (17) डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, व्यापुर (मनेर) पटना।
- (18) Bindal Public School Kwari, Mujolia, Bathnaha, Sitamarhi.
- (19) St. Xavier's High School, Kharaiel, Brahmasthan Chowk, Ward No-13, Supaul.

प्रस्ताव संख्या-2

विद्यालय प्रबंधन से प्राप्त प्रस्तावों के समीक्षोपरांत समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्न विद्यालयों के संबंध में त्रुटीपूर्ण/अस्पष्ट कागजात प्राप्त होने के कारण प्रस्ताव को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया। संबंधित विद्यालयों द्वारा वांछित कागजात प्राप्त कर आगामी बैठक में विचारार्थ रखने का निर्णय लिया गया। वैसे विद्यालय निम्नवत है :-

क्र०	विद्यालय का नाम	स्थगित रखने का कारण
(1)	Ideal Public School, Ramjee Chak, Bataganj (Digha), Patna	शिक्षकों की नियुक्ति विज्ञापन के पूर्व।
(2)	Gyanasthall High School, Pachmahalla, Laxmipur (Near N.T.P.C), Barh	विज्ञापन अस्पष्ट एवं खंडों में छाया प्रति प्राप्त। विज्ञापन की मूल प्रति की मांग की जाय। शिक्षकों की नियुक्ति तिथि अंकित नहीं। शपथ पत्र विभागीय अधिसूचना संख्या-238 दिनांक 04.04.2006 के अनुकूल नहीं। आधारभूत संरचना अनुपलब्ध।
(3)	चमन साह सरस्वती विद्या मंदिर, जगतपुर, बाँका।	विज्ञापन में तिथि स्पष्ट नहीं। विज्ञापन की मूल प्रति की मांग की जाय।
(4)	Meena Vidya Niketan, Sikandarpur Tilhar, Maner, Patna.	विज्ञापन में तिथि अंकित नहीं। विज्ञापन की मूल प्रति की मांग की जाय। वर्ग कक्ष का माप अंकित नहीं। शिक्षकों की नियुक्ति तिथि अंकित नहीं।
(5)	G.M. Central Public School, Baharwanli, Nonpur, Pipra Dodra, Begusaral.	वर्ग कक्ष का माप अस्पष्ट। शिक्षकों की नियुक्ति तिथि अंकित नहीं। मूल शपथ पत्र अप्राप्त।
(6)	कांहर कपिलदेव सरस्वती विद्या मंदिर, ग्राम-सैदपुर कैंटोला, पोस्ट-शंभुआर, भय्या-पंडौल, प्रखण्ड-रहिका, मधुबनी।	समाप्त शपथ-पत्र विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 04.04.2006 के अनुरूप नहीं है।
(7)	Verma English School, Odar, Bhabhua, Kalmur.	विज्ञापन उपलब्ध नहीं।
(8)	Rameshwar Singh International School, Pandey Parsawan, Gaya.	दिनांक 18.08.2018 का विज्ञापन सही प्रतीत नहीं होता है। विज्ञापन की मूल प्रति की मांग की जाय।
(9)	ST. Xavier's High School, Amba, Aurangabad.	जिला शिक्षा पदाधिकारी से निर्बंधित लीज डीड के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त की जाय। शिक्षकों की नियुक्ति अंकित नहीं।
(10)	E.F.A. Public School Jangalchhera (Mahuar), Ramgarh, Sahuka, Kalmur.	शिक्षकों की नियुक्ति तिथि अंकित नहीं।
(11)	कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल, न्यू हरनी चक, अनीशाबाद, पटना।	विज्ञापन सही प्रतीत नहीं होता है। मूल प्रति की मांग की जाय। जिला शिक्षा पदाधिकारी से लीज डीड से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की जाय।
(12)	ST Alban School, सगुना मोड़ दानापुर पटना।	विज्ञापन सही प्रतीत नहीं होता है। विज्ञापन की तिथि अंकित नहीं। मूल प्रति की मांग की जाय।
(13)	Usa'n' Kids Ghujli, Sherghati, Gaya.	विज्ञापन में तिथि अंकित नहीं। किस समाचार पत्र में प्रकाशित है, स्पष्ट नहीं। विज्ञापन की मूल प्रति प्राप्त की जाय। शिक्षकों की नियुक्ति तिथि अंकित नहीं।
(14)	Dhyanshu Anglo Valdic School, Bhupatti, Babubarhi, Madhubani.	आधारभूत संरचना का माप स्पष्ट अंकित नहीं। भूमि का माप विरोधाभासी। शपथ पत्र विभागीय अधिसूचना के अनुरूप नहीं। विज्ञापन की मूल प्रति की मांग की जाय।
(15)	SRI RAM INTERNATIONAL SCHOOL, VAISHALI.	विज्ञापन विभिन्न खण्डों में छाया प्रति के रूप में प्राप्त। विज्ञापन की मूल प्रति प्राप्त की जाय। शिक्षकों की नियुक्ति तिथि अंकित नहीं। आधारभूत संरचना अस्पष्ट।

### प्रस्ताव संख्या-3

विद्यालयों द्वारा प्राप्त प्रस्ताव जिसमें ग्रामीण क्षेत्र एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्र के लिए निर्धारित भूमि 2 एकड़ से कम तथा 1.5 एकड़ या उससे अधिक जमीन होने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सी० बी० एस० सी० ऐफिलियेशन बायलॉज के कड़िका 3 में वर्णित प्रावधानानुसार 3 सेक्शन हेतु निम्न विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाय:-

- (1) St. Xavier's International School, Pranpura, Mokhtiyarpur Salkhanni, Dalsinghsaray, Samastipur।
- (2) S.T.D.B. Oxon Convent School, By Pass Road, Nokha, Rohtas।

- (3) St. Xavier's High School, Tirvirwan, Near Mission, Gopalganj.  
 (4) Captain International School, Rasoolpur, Bahadurpur, Darbhanga.  
 (5) Rajeev Global School, Danapur, Maruti Showroom Campus, Gopalganj.

**प्रस्ताव संख्या-4**

विद्यालयों द्वारा प्राप्त प्रस्ताव जिसमें ग्रामीण क्षेत्र एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्र के लिए निर्धारित भूमि 1.5 एकड़ से कम तथा 1 एकड़ या उससे अधिक जमीन होने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सी० बी० एस० सी० ऐफिलियेशन बायलॉज के कंडिका 3 में वर्णित प्रावधानानुसार 2 सेक्शन हेतु निम्न विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाय:-

- (1) Divine International School, Mora Talab, N.H-20, Sohsarai, Biharsharif, Nalanda।  
 (2) Trinity Convent School, Nasriganj, Digha-Rupaspur, Danapur, Patna।

**प्रस्ताव संख्या-5**

विद्यालय प्रबंधन से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षांतरांत समिति द्वारा निम्नांकित विद्यालयों के संबंध में शुद्धि पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया:-

क्र०	विद्यालय का नाम	विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र पत्रांक एवं दिनांक
(1)	BIHTA PUBLIC SCHOOL (B.P.S), CHAUGAIN, MURAR, BUXAR	पत्रांक-795 दिनांक 28.06.2018
(2)	SOLANKI INTERNATIONAL SCHOOL, GULTENGANJ, CHAPRA, SARAN.	पत्रांक-1039 दिनांक 07.09.2019
(3)	ST. GEORGE HIGH SCHOOL, Phulwaria-3, Barauni, Begusarai.	पत्रांक-755 दिनांक 28.06.2018

विशेष निदेशक (मा०शि०)  
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

अपर मुख्य सचिव  
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-10/न-07/2017...14.17

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के आप्त सचिव/विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-10/आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष निदेशक (मा० शि०)  
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

निदेशक (मा०शि०)  
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

मंत्री  
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 17.12.2019

पटना, दिनांक 17.12.2019